भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3653
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

भारत की ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों की बैठक में सहभागिता

3653. श्री तापिर गाव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों की बैठक के दौरान रेखांकित किए गए प्रमुख विधिक सुधारों और पहलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने में प्रभावी रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के बीच विधिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए और विशेषकर मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा और एआई विनियमन के क्षेत्र में क्या पहल की जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा उजागर किए गए प्रमुख विधिक सुधारों और पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

I. रिश्तों को बनाए रखते हुए, विवादों को सुलझाने के लिए संरचनाबद्ध, लागत प्रभावी साधन प्रदान करने के लिए भारत का ऐतिहासिक मध्यकता अधिनियम।

II. न्यायिक बोझ को कम करने और समय पर, न्यायसंगत संघर्ष समाधान प्रदान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)।

III. केस बैकलॉग को कम करके सरकारी मुकदमेबाजी में सुधार के लिए राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति।

IV. केस रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर जोर, जो आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और न्यायिक दक्षता की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

V. कनिष्ठ अधिवक्ताओं, विकलांग अधिवक्ताओं और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि बनाना ।

VI. सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) ।

VII. भारत कोड सूचना प्रणाली का निर्माण- एक डिजिटल संग्रह जो सभी केंद्रीय और राज्य विधानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है।

VIII. विधिक सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्र-एक मंच की पहल, जो शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के लिए एक मॉडल पेश करती है।

IX. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के माध्यम से, न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाया जा रहा है।

X. कैदियों के प्रत्यर्पण, पारस्परिक विधिक सहायता और स्वदेश वापसी के लिए भारत का मजबूत विधिक ढांचा।

(ख) और (ग) : सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी), केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों (सीपीएसई) के पारस्परिक और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों(जिसके अंतर्गत रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवाद नहीं हैं) के बीच सभी वाणिज्यिक विवादों से निपटता है। वर्तमान में विभिन्न सीपीएसई द्वारा 195 वाणिज्यिक विवाद उठाए गए हैं और इनमें से 50 को दावेदार सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के वित्तीय सलाहकारों द्वारा संवीक्षा स्तर पर खारिज कर दिया गया है, जबकि अन्य 50 मामलों को सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा हल किया गया है। शेष मामलों को मौजूदा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन प्रसंस्कृत किया जाता है।

(घ) : भारत ने, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से एआई विनियमों और साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अन्य देशों के साथ समन्वय किया है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

(i) संयुक्त राष्ट्र ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उपयोग में और सुरक्षा पर ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप (ओईडब्ल्यूजी) को अधिदेशित किया है, जिसमें कई स्तंभ साइबर सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के साथ-साथ साइबरस्पेस (एआई सहित) में जिम्मेदार राज्य व्यवहार के लिए नियम, सन्नियम, विधि और सिद्धांत विकसित करने पर चर्चा को बढ़ावा देते हैं और जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का संवर्द्धन करना है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने सितंबर 2024 में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अंगीकार किया, जो डिजिटल सहयोग के लिए एक व्यापक वैश्विक ढांचा है। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के समुचित शासी ढांचे के निर्माण के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों सहित कई देशों के साथ अनौपचारिक परामर्श और समन्वय में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

(iii) यूएनजीए ने दिसंबर 2024 में साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अंगीकार किया, जो साइबर अपराध से निपटने और समाज को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि है। भारत ने ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ वार्ता सहित इस कन्वेंशन के पाठ को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

****